भागलपुर समाहरणालय
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

बिहार सरकार

अति अल्पकालीन निविदा

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1367/आ0प्र0 दिनांक 19.04.2020 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में कोराना वायरस (COVID-19) संक्रमण के रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु संचालित आपदा राहत केन्द्र एवं विद्यालय क्वॉरंटीन कैम्पों में आवासित व्यक्तियों के लिए वस्त्र/बर्त्तन/सेनेटरी इत्यादि सामग्री क्रय किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वित्त नियमावली के सुसंगत धाराओं को शिथिल करते हुए मजदुरों/छात्रों/तीर्थयात्री/अन्य लोगों के रोजमर्रा की अति आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 01.05.2020 को दर निर्धारण किया गया था।

पुनः दूसरे राज्य के प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी एवं अन्य लोगों के बड़ी संख्या में आने की सम्भावित सूचना को देखते हुए क्वॉरंटीन में आवासित व्यक्तियों को रोजमर्रा की सामग्री उपलब्ध कराये जाने एवं अन्य सामग्री के क्रय हेतु दर निर्धारण के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता से सीलबंद निविदा प्राप्त करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग–अलग लिफाफे में होगी। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता सीलबंद निविदा जिला आपदा प्रबंधन शाखा, भागलपुर में दिनांक **11.05.2020** के **11.00** बजे पूर्वाह्न तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न **03.00** बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामग्री की विवरणी एवं अन्य शर्त्तें जिले की बेवसाईट **https://bhagalpur.nic.in** एवं जिला आपदा प्रबंधन शाखा, भागलपुर समाहरणालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र0	सामग्री का नाम	प्रकार	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	साड़ी+ब्लाउज	अर्चना या उसके समकक्ष	दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
2	पेटीकोट		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
3	लूंगी		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
4	धोती (जोड़ा)		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
5	गंजी		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
6	गमछा		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
7	टी–शर्ट (व्यस्क)		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
8	बच्चे का कपड़ा (0–7 वर्ष)		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
9	बच्चे का कपड़ा (7–14 वर्ष)		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
10	कंघी		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
11	चादर		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
12	चटाई		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
13	तकिया कवर		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा

☎ 0641-2402200 (O)/2402300 (R)
Fax – 0641-2402400
E-mail ID: dm-bhagalpur.bih@nic.in

14	ब्लीचींग पाउडर (प्रति किलो)		दर प्रति किलो
15	मच्छरदानी		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
16	थाली		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
17	ग्लास		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
18	कटोरा		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
19	बाल्टी (प्लास्टीक)		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
20	मग (प्लास्टीक)		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
21	आईना		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
22	तेल		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
23	साबुन(नहाने का)		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
24	साबुन(कपड़ा धोने का)		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
25	सेनेटाईजर (100 ML)		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
26	मच्छर भगाने वाला		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
27	टूथपेस्ट		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
28	टूथब्रस +जीभ्भी		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
29	झाडू		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
30	सेनेटरी पैड		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
31	मास्क		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
32	थैला		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
33	शैम्पू		दर प्रति पीस/प्रति सैकड़ा

निविदा की शर्त्तें

1. इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/संवेदक के द्वारा द्वि लिफाफा पद्धति अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

तकनीकी निविदा शर्त्त

2. अग्रधन की राशि 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा जो जिलाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से भागलपुर में विकलनीय होगा।
3. तकनीकी शर्तों से संबंधित लिफाफा अलग होगा एवं वित्तीय शर्तों से संबंधित लिफाफा अलग होगा पुनः दोनों सीलबन्द लिफाफा एक बड़े लिफाफा के अन्दर रखकर सीलबंद करना होगा। लिफाफे के उपर फर्म का पूरा नाम पता एवं मोबाईल नं0 अंकित करना होगा।
4. निविदादाता को ट्रेड लाईसेंस/बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदा के साथ जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को विगत तीन वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत काली सूची में दर्ज नहीं होने का स्व–घोषणापत्र/शपथपत्र देना होगा।
8. निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. सामग्री की आपूर्त्ति ब्रांडेड/अच्छी गुणवत्ता की आपूर्त्ति देने संबंधी शपथपत्र देना होगा।

वित्तीय निविदा शर्त्त

10. वित्तीय निविदा के लिफाफे में सभी सामग्री का दर प्रति क्वींटल/किलोग्राम, प्रति पाकेट, प्रति पीस सभी कर सहित अंकित करनी होगी।

☎ 0641-2402200 (O)/2402300 (R)
Fax – 0641-2402400
E-mail ID: dm-bhagalpur.bih@nic.in

11. निविदा में आपूर्त्ति किये जाने वाले सामग्रियों का दर, ब्राण्डेड एवं अन्य अंकित करते हुए कोड करना होगा।
12. आपूर्त्तिकर्त्ता को खाद्य सामग्री से संबंधित मदों का नमूना निविदा का साथ लाना होगा।
13. वित्तीय निविदा लिफाफे पर निविदादाता का नाम पता अंकित होना चाहिए।
14. सभी वांछित कागजात स्व–हस्ताक्षरित होना चाहिए।

अन्य शर्त्तें

15. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्त्ति आदेश के तीन दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्त्ति निश्चित् रूप से कर देंगे एवं आवश्यकतानुसार इस जिला के सभी अंचल मुख्यालयों तक पहुँचा देंगे।
16. निविदा में अंकित मूल्य पर किसी भी स्थान पर (जिला के अन्दर) आवश्यक सामग्री की आपूर्त्ति करना होगा। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
17. सामग्रियों की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर पर अलग–अलग आपूर्त्तिकर्त्ताओं से भी आपूर्त्ति प्राप्त किया जा सकता है।
18. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लायेंगे ताकि उनकी गुणवत्ता की जाँच की जा सके। स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।
19. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियत संगत कार्रवाई करते हुए आपूर्त्ति की गई सामग्री के भुगतान में आवश्यक कटौती की जायेगी एवं जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही आपूरित सामग्री आपूर्त्तिकर्त्ता को वापस ले जानी होगी, इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति भुगतान का दावा अमान्य होगा।
20. स्वीकृत आपूर्त्तिकर्त्ताओं के द्वारा ससमय आदेशित सामग्री की आपूर्त्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं या स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्त्ति ली जा सकती है।
21. सामग्रियों की आपूर्त्ति हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगा। आपूर्त्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
22. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
23. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। विशेष जानकारी के लिए भागलपुर जिला के बेवसाईट https://bhagalpur.nic.in देखा जा सकता है।
24. कोई भी निविदा या दावा भागलपुर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।
25. आपूर्त्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार जी0एस0टी0 / आयकर देय होगा, जिसकी कटौती एकमुश्त भुगतान के समय की जायेगी।
26. सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायेगी
27. जिस आपूर्त्तिकर्त्ता को उपरोक्त सभी शर्त्त स्वीकार हो वैसे आपूर्त्तिकर्त्ता निविदा में भाग ले सकते हैं।

जिलाधिकारी
भागलपुर।
2/5/20